न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –19/2018 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2018/00111

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

——प्रार्थी.

बनाम

श्री दिलीप कुमार छापेड़ पुत्र श्री सौभागलाल छापेड निवासी 3 ई 20 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा

मैसर्स श्री आदेश्वर किराना एण्ड जनरल स्टोर, 3 ई 20 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा ।

——अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 04 घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर, 3 kg के non isi 1.5 kg का 3 रिफलिंग पीतल की बांसुरी, एक स्टील की रिफलिंग बांसुरी को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. श्री अंसार अहमद, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 09.07.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 19.02. 2018 की अनुपालना में जांच दल में सम्मिलित सदस्य श्रीमती संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, श्री कुलजीत कुमार, जिला नोडल अधिकारी एवं श्री अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक जांच हेतु दिनांक 6.4. 2018 को मैसर्स श्री आदेश्वर किराना एण्ड जनरल स्टोर 3 ई 20 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा पर पहुंचे । मौके पर मालिक श्री दिलीप कुमार छापेड़ पुत्र श्री सौभागलाल छापेड़ उपस्थित मिले । जहां पर घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण की जांच की गई । वक्त जांच पाई गई स्थिति अनुसार श्री दिलीप कुमार छापेड पुत्र श्री सौभागलाल छापेड निवासी 3 ई 20, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया । घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे non isi सिलेण्डर में रिफिल कर कीमतन विक्रय की जा रही थी । इस प्रकार मौके पर पाये गये निम्नांकित विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध संग्रहण करने के कारण द्रविड पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश के खण्ड 3 (1) आदि धाराओं का उल्लंघन पाये जाने से मौके से जप्त किया जाकर मौके पर ही उपस्थित श्री चन्द्रेश शर्मा पुत्र श्री दिनेश दत्त शर्मा निवासी 1–ट–14 विज्ञान नगर कोटा दिनेश गैस एजेन्सी, विज्ञान नगर कोटा को सुपुर्दगी में शर्तो के अनुसार दिया गया । जब्तशुदा सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क.सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	/टेयर वेट (किलोग्राम में)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम में)	नेट वेट (किलोग्राम में)
1	HPCL	3968835	15.6	20.8	5.2
2	BPCL	9812205	15.8	30.1	14.3
3	IOCL	6133115	15.6	29.8	14.2
4	IOCL	689882 T	15.7	30.0	14.3
03 kg.non isi 3 सिलेण्डर					
01 .non isi सिलेण्डर 1.5 kg का 3 रिफलिंग पीतल की बांसुरी, एक स्टील की रिफलिंग बांसुरी					

इस प्रकार उक्त श्री दिलीप कुमार छापेड पुत्र श्री सौभागलाल छापेड निवासी 3–ई–20, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित घरेलु गैस सिलेण्डर्स का अवैधरूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) 3(1) (ए) (बी) का उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 4 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर, 03 kg. non isi 3 सिलेण्डर, 01 non isi सिलेण्डर 1.5 kg के 3 रिफलिंग पीतल की बांसुरी, एक स्टील की रिफलिंग बांसुरी को

राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरितम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण वताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री अंसार अहमद का वकालतनामा पेश हुआ, वकील अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई ।

3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी से कुल 4 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर, 03 kg. non isi 3 सिलेण्डर, 01 non isi सिलेण्डर 1.5 kg के 3 रिफलिंग पीतल की बांसुरी, एक स्टील की रिफलिंग बांसुरी जब्त किये गये है उक्त गैस सिलेण्डरों व गैस रिफलिंग जुगाड के माध्यम से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग की जाकर उच्च कीमतों पर बाजार में विक्रय किया जाता है । इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों का अवैध संग्रहरण एवं व्यावसायिक उपयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 खण्ड 3 (1) 3(1) (ए) (बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से मौके पर ही जब्त किये गये है । अतः उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात कराना फरमावें ।

4. वकील अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को ही बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त की रिश्तेदारी में शादी होने के कारण निजी घरेलू उपयोग के लिये उक्त सिलेण्डर मिलने जुलने वालों से लाकर रखे थे । प्रार्थी ने किसी तरह का कोई अवैध संग्रहण नहीं किया है और ना ही अभियुक्त का उक्त कृत्य उपरोक्त अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आता है । अतः प्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावें ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी दिलीप कुमार छापेड से कुल 4 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर, 03 kg. non isi 3 सिलेण्डर, 01 non isi सिलेण्डर 1.5 kg के 3 रिफलिंग पीतल की बांसुरी, एक स्टील की रिफलिंग बांसुरी जब्त किये गये है । उक्त गैस सिलेण्डरों व गैस रिफलिंग जुगाड से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में जुगाड के माध्यम से गैस रिफलिंग की जाकर उच्च कीमतों पर बाजार में विक्रय किया जाता है । इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों का अवैध संग्रहरण एवं व्यावसायिक उपयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 खण्ड 3 (1) 3(1) (ए) (बी) स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी का यह अपराध प्रमाणित पाया गया है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 4 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर, 03 k.g. non isi 3 सिलेण्डर, 01 non isi सिलेण्डर 1.5 kg का, 3 रिफलिंग पीतल की बांसुरी, एक स्टील की रिफलिंग बांसुरी को राजसात (Confiscat) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति जब्त पालनार्थ भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर का निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।

7. निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारियां)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा